

सूचना का
अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक-02 अगस्त 2014

क्रमांक-एफ. 4-3/2014/आरटीआई/1-सूअप्र: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (सन् 2005 का क्रं. 22) की धारा 15 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्वारा, श्री अजय कुमार सिंह (आई.एफ.एस.), सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है।

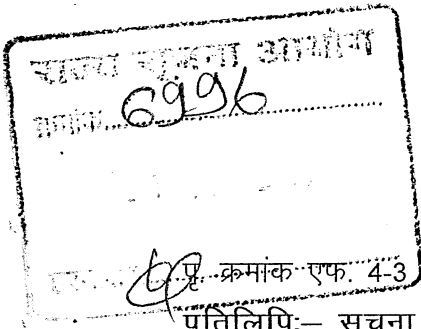
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

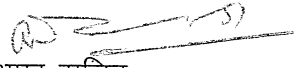


क्रमांक-एफ. 4-3/2014/आरटीआई/1-सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 02 अगस्त 2014
प्रतिलिपि:- सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. समस्त विशेष सहायक, माननीय मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर।
5. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. श्री अजय कुमार सिंह (आई.एफ.एस.), सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, डी-1/6, आफिसर्स कालोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर।
10. सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,।

//2//

11. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर छ.ग.।
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
13. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
14. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
15. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
16. समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़।
- ✓ 17. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर रायपुर, छ0ग0।
18. संचालक, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर।
19. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर।
20. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, गोंदवारा, भनपुरी, रायपुर। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में कर, अधिसूचना की 100 प्रतियाँ अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।


अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना

19

26/8/14

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 431]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 अगस्त 2014— श्रावण 11, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक -एफ. 4-3/2014/आरटीआई/1-सूअप्र. — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (सन् 2005 का क्र. 22) की धारा 15 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्वारा, श्री अजय कुमार सिंह (आई. एफ. एस.), सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.